



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 731]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 28, 2017/भाद्र 6, 1939

No. 731]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 28, 2017/BHADRA 6, 1939

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2017

सा.का.नि.1069(अ).—केन्द्रीय सरकार, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 5 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि चीनी का कोई भी उत्पादक नीचे उल्लिखित मास के अंत में निम्नलिखित मात्रा से अधिक चीनी का कोई भी स्टॉक नहीं रखेगा :-

- | | | | |
|-----|---------------|---|---|
| (क) | सितम्बर, 2017 | : | 2016-17 चीनी मौसम के दौरान उनके पास उपलब्ध कुल चीनी का इक्कीस प्रतिशत |
| (ख) | अक्टूबर, 2017 | : | 2016-17 चीनी मौसम के दौरान उनके पास उपलब्ध कुल चीनी का आठ प्रतिशत |

2. व्यक्ति उत्पादक के पास चीनी की कुल उपलब्धता की गणना निम्नलिखित रूप से की जाएगी:-

“ 01 अक्टूबर, 2016 को चीनी का आरंभिक स्टॉक +2016-17 चीनी मौसम के दौरान चीनी का उत्पादन - 2016-17 चीनी मौसम के दौरान चीनी का निर्यात + 2016-17 चीनी मौसम के दौरान चीनी का आयात ”।

3. इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को यह आदेश प्रवृत्त करने के लिए प्राधिकृत करती है।
4. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

[फा.सं. 1(6)/2016'एसपी- I]
सुभाशीष पांडा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 28th August, 2017

G.S.R.1069(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with the clause 5 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby directs that no producer of sugar shall hold any stock of sugar in excess of quantities at the end of the month as mentioned below:-

- (a) September, 2017: twenty-one per cent. of the total sugar available with them during 2016-17 sugar season.
- (b) October, 2017 : eight per cent. of the total sugar available with them during 2016-17 sugar season

2. Total availability of sugar of individual producer shall be calculated as under:

“Opening stock of sugar as on 1st October, 2016 + sugar produced during 2016-17 sugar season – sugar exported during 2016-17 sugar season + sugar imported during 2016-17 sugar season”.

3. Further, in exercise of powers conferred by clause 15 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby authorises the State Governments and Union territory administrations to enforce this order.

4. This order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No.1(6)/2016-SP-I]
SUBHASISH PANDA, Jt. Secy.